भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 449
दिनांक 05.12.2023/ 14 अग्रहायण, 1945 (शक) को उत्तर के लिए

सीमावर्ती गांवों का विकास

†449 श्री प्रताप राव जाधवः
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः
श्री सुधीर गुप्ताः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार देश के सीमावर्ती गांवों को प्राथमिकता के आधार पर विकसित करने का है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) क्या सरकार ने सीमाओं पर स्थित सभी गांवो की पहचान कर ली है और यदि हां, तो गांवों के नामों सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश के सीमावर्ती गांवों में पर्याप्त अवसंरचनात्मक, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं सृजित करने के लिए सरकार द्वारा आबंटित और जारी किए गए बजट का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार ने देश के सीमावर्ती गांवों में किए जाने वाले अवसंरचनात्मक और विकासात्मक कार्यों के लिए कोई नोडल एजेंसी गठित की है/नियुक्त की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निशिथ प्रामाणिक)

(क) से (ग) : सीमावर्ती गावों का विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकता रही है। इस उद्देश्य से, वर्ष 1986 से सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.) चलाया जा रहा है। बी.ए.डी.पी. के अंतर्गत अन्तराष्ट्रीय सीमा पर स्थित प्रथम वासस्थान से 0–10 किलोमीटर (एरियल दूरी) के अन्दर स्थित सभी

जनगणना गाँव/शहर, अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्र सम्मलित हैं, जिनको राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा चिन्हित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, सीमावर्ती गावों में विकास सम्बन्धी कमियों को दूर करने हेतु, केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख में उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 46 प्रखंडों के चिन्हित गावों के लिए वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम (वी.वी.पी.) को अनुमोदन प्रदान किया है। वी.वी.पी. के अंतर्गत, प्राथमिकता के आधार पर 662 गावों को चिन्हित किया गया है। सम्बंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के जिलों और प्रखंडों, जिनके गाँव वी.वी.पी. के अंतर्गत सम्मलित किये गए है, का विवरण अनुलग्नक–I पर उपलब्ध है। गॉवों को विभिन्न हितधारकों से परामर्श करने के बाद चिन्हित किया गया है।

(घ) से (ङ): केन्द्र प्रायोजित योजनाओं, नामतः, बी.ए.डी.पी. और वी.वी.पी. के अंतर्गत सीमावर्ती गांवों में विकासात्मक कार्यों का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन करते हैं। वर्तमान वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सीमावर्ती गांवों में ढ़ांचागत सुविधाओं का सृजन और विकास कार्यों का कार्यान्वयन करने के लिए बी.ए.डी.पी. के अन्तर्गत 600.00 करोड़ रुपये और वी.वी.पी. के अन्तर्गत 150.00 करोड़ रुपये (भारत की आकस्मिकता निधि से) का बजट आवंटित किया गया है। निधि जारी करना एक सतत प्रक्रिया है, जो कि समय-समय पर स्वीकृत परियोजनाओं, उनकी प्रगति और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुमानित मांगों पर आधारित है।

*****

लोक सभा अता. प्र. सं. 449 दिनांक 05.12.2023

अनुलग्नक-।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्र.सं.	जिला	क्र.सं.	प्रखंड	गांवों की संख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	**अरुणाचल प्रदेश**	1	अंजाव	1	चगलागम	24
				2	हयुलियांग	5
				3	वालोंग	26
		2	दिबांग घाटी	4	एनेलिह-आरज़ू	1
				5	अनिनि-मिपि	17
				6	एटालिन-मालिन्ये	7
		3	पूर्वी कामेंग	7	बामेंग	9
				8	चायांगताजो	18
				9	खेनेवा	12
		4	कुरुंग कुमेय	10	दामिन	23
				11	कोलोरियांग	19
				12	पारसी-पालो	20
				13	सरली	22
		5	निचली दिबांग घाटी	14	हुंली-देसाली	2
		6	तवांग	15	जंग-थिंगबू	12
				16	किटपी	29
				17	तवांग	82
				18	ज़ेमिथांग-दुदुन्घर	32
		7	ऊपरी सियांग	19	जेंगिंग	5
				20	सिंगा-गेलिंग	9
		8	ऊपरी सुबनसिरी	21	लाईमकिंग	16
				22	नाचो	1
				23	सियुम	1
		9	पश्चिम कामेंग	24	नफरा	11
		10	शि-योमी	25	मेचुका	14
				26	मोनिगोंग	16
		11	क्र दादी	27	पिप्सोरांग	6
				28	तूतिंग	16
2	**हिमाचल प्रदेश**	12	किन्नौर	29	कल्प	14
				30	पूह	41
		13	लाहौल एवं स्पीति	31	स्पीति	20
3	**सिक्किम**	14	पूर्वी जिला (अब गंगटोक जिला)	32	ग्नथांग	4
		15	उत्तर-जिला (अब मंगन जिला)	33	चुंगथांग	3
				34	लाचेन	3
				35	लाचुंग	2
				36	पासिंगडांग	20
				37	काबी तिंगदा	13
				38	मंगन	1
4	**लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र**	16	लेह लद्दाख)	39	डर्बोक	9
				40	नुबरा	1
				41	न्योमा	25
5	**उत्तराखंड**	17	चमोली	42	जोशीमठ	14
		18	पिथोरागढ़	43	धारचूला	17
				44	कनाली छिना	2
				45	मुनस्यारी	8
		19	उत्तरकाशी	46	भटवारी	10
						662